न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर–प्रथम, जयपुर

पंचायत निगरानी संख्याः 16/2018 RCMS No.–2018/00005

मूली देवी पत्नि श्री हरिशंकर उम्र 65 वर्ष जाति महाजन निवासी ग्राम पोस्ट नायला, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।

...निगरानीकर्ता

बनाम

1. विकास अधिकारी पंचायत समिति जमवारामगढ, कार्यालय जमवारामगढ, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।
2. छाजूराम पुत्र श्री धन्ना राम निवासी छरवालो की ढाणी, नायला, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।

...विपक्षीगण

निगरानी विरूद्व नोटिस दिनांक 15.11.2017 पंचायत समिति जमवारामगढ जिला जयपुर उनवनी छाजूराम बनाम ग्राम पंचायत नायला, जयपुर।

———————

उपस्थितः–
1. श्री एस.एम. सैनी अधिवक्ता निगरानीकार की ओर से।
2. श्री प्रकाश चन्द भारती अधिवक्ता गैर निगरानीकार संख्या–दो की ओर से ।

———————

निर्णय दिनांकः 19.12.2019

निगरानीकर्ता ने यह निगरानी प्रशासन व स्थापना समिति पंचायत समिति जमवारामगढ में विचाराधीन अपील 09/2015 उनवानी छाजूराम बनाम मूली में निगरानीकर्ता को दिये गये नोटिस दिनांक 15.11.2017 से असंतुष्ट होकर दिनांक 22.01.2018 को इस न्यायालय में प्रस्तुत की है। निगरानी प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर नोटिस विपक्षीगण जारी करने तथा निगरानीधीन आदेश से सम्बन्धित पत्रावली तलब करने के आदेश दिये गये। विपक्षी संख्या दो की ओर से श्री प्रकाश चन्द भारती अधिवक्ता उपस्थित आये तथा अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से कोई उपस्थित नहीं आया। विकास अधिकारी पं. स. जमवारामगढ के पत्रांक 1009–10 दिनांक 07.02.2018 द्वारा मूल पत्रावली पत्रावली प्राप्त होने पर शामिल मिसल की गई। पत्रावली बहस हेतु नियत की गई। वकील पक्षकारान की बहस उपस्थित अभिभाषक सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता निगरानीकर्ता ने दौराने बहस कथन किया कि प्रशासन व स्थापना समिति पंचायत समिति जमवारामगढ जिसका कार्यवाहक अधिकारी गैर निगरानीकार संख्या 1 है के समक्ष गैर निगरानीकार संख्या 2 द्वारा एक अपील विरूद्व निर्णय ग्राम पंचायत नायला द्वारा जारी पट्टा मिसल संख्या 50 दिनांक 08.12.2009 को निरस्त करने बाबत पेश की गयी। जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 20.10.2015 को अपील संख्या 09/2015 दर्ज की जाकर निगरानीकर्ता को उक्त अपील में अपने पक्ष के साक्ष्य सबूत दस्तावेज पेश करने हेतु नोटिस दिनांक 15.11.2017

दिया गया। गैर निगरानीकर्ता संख्या 2 द्वारा ग्राम पंचायत नायला से साजकर हनुमान सहाय बोहरा के हकशुदा कुए की भूमि का एक फर्जी पट्टा संख्या 17 दिनांक 05.10.2007 जिसकी नाप पूर्व से पश्चित 10 फीट उत्तर से दक्षिण 25 कुल क्षेत्रफल 27.27 वर्गगज का बनाया गया। जिसकी जानकारी होने पर हनुमान सहाय बोहरा के द्वारा माननीय न्यायायल में निगरानी पेश की गयी। न्यायालय हाजा द्वारा हनुमान सहाय बोहरा द्वारा पेश की गयी निगरानी स्वीकार की जाकर दिनांक 14.02.2018 को गैर निगरानीकर्ता संख्या 2 का पट्टा संख्या 17 खारिज किया गया। प्रकरण में गैर निगरानीकार संख्या 2 ने गैर निगरानीकार संख्या 1 से मिलीभगत कर बिना विधिक प्रकिया अपनाते हुए विवादग्रस्त नोटिस दिनांक 15.11.2017 जारी किया है। जिसमें प्रार्थी को बिना सुने ही आदेश पारित किया जा रहा है। माननीय न्यायालय के समक्ष भी मिसल संख्या संख्या 50 के संबंध में निगरानी छाजूराम बनाम मूली विचाराधीन है। अतः निगरानीकर्ता द्वारा पेश की गयी निगरानी स्वीकार की जाकर प्रशासन एवं स्थापना समिति पं.स. जमवारामगढ द्वारा अपील संख्या 09/2015 में पारित निर्णय दिनांक 15.11.2017 खारिज किया जावे।

विद्वान अधिवक्ता गैर निगरानीकार संख्या–दो ने दौराने बहस कथन किया कि ग्राम नायला स्थित निगरानीधीन भूमि पर अप्रार्थी संख्या दो का ही कब्जा है एवं ग्राम पंचायत द्वारा नियमविरूद्व जाकर गैर निगरानीकार संख्या 2 की कब्जेशुदा जमीन पर पट्टा संख्या 50 आदेश दिनांक 08.12.2009 जारी करवा लिया जिसके विरूद्व प्रशासन एवं स्थापना समिति पं.स. जमवारामगढ में अपील की गई। प्रशासन एवं स्थापना समिति पं.स. जमवारामगढ द्वारा निगरानीकार को दिये गये नोटिस दिनांक 15.11.2017 के विरूद्व माननीय न्यायालय में निगरानी पेश की है जो न्यायोचित नहीं है। निगरानी गलत तथ्यो के आधार पर पेश की गयी है। अतः निगरानीकार की ओर से प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से खारिज की जावे।

विद्वान अभिभाषक निगरानीकार एवं गैर निगरानीकारान की बहस सुनी गई। पत्रावली का तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात आदि का आद्योपान्त अवलोकन किया तथा सम्बन्धित कानून के परिपेक्ष्य में गम्भीरता पूर्वक मनन किया गया। वकील निगरानीकार का कथन सही है कि छाजूराम बनाम मूली देवी व अन्य मिसल संख्या 32/2018 न्यायालय हाजा में विचाराधीन है जिसमें निगरानीकार छाजूराम द्वारा दिनांक 15.03.2018 को निगरानी पट्टा मिसल संख्या 50 ग्राम पंचायत नायला के आदेश दिनांक 08.12.2009 को निरस्त किये जाने की पेश की है, जो कि न्यायालय हाजा मे ंविचाराधीन है। विकास अधिकारी पंचायत समिति जमवारामगढ से प्राप्त पत्रावली के अवलोकन से जाहिर है, कि प्रशासन एवं स्थापना समिति पं.स.

जमवारामगढ के समक्ष गैर निगरानीकर्ता संख्या दो द्वारा निगरानीकर्ता के हक में ग्राम पंचायत नायला के आदेश दिनांक 08.12.2009 के द्वारा जारी मिसल संख्या 50 के विरूद्व अपील पेश की गयी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निगरानीकर्ता को दिनांक 15.11.2017 को अपील में अपने हक के साक्ष्य सबूत पेश करने बाबत नोटिस दिया गया। निगरानीकर्ता द्वारा उक्त नोटिस पूर्व ही अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 29.09.2016 को जवाब भी प्रस्तुत किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में किसी प्रकार का अन्तिम निर्णय पारित नहीं किया गया है निगरानीकर्ता द्वारा निगरानी निगरानीकार को दिनांक 15.11.2017 को दिये गये नोटिस कमांक 10394–96 के विरूद्व पेश की गयी है। पंचायत राज अधिनियम की धारा 97 में स्पष्ट प्रावधान है कि राज्य सरकार किसी पंचायती राज संस्था या उसकी स्थायी समिति या उपसमिति का अभिलेख उनमें पारित किसी भी विनिश्चय या आदेश की विधिकता या औचित्य के बारे में परीक्षा कर तदनुसार आदेश पारित कर सकेगी। प्रशासन एवं स्थापना समिति पं.स. जमवारामगढ द्वारा प्रश्नगत प्रकरण संबंध में कोई आदेश पारित नहीं किया गया है। प्रशासन एवं स्थापना समिति पं.स. जमवारामगढ द्वारा अपील संख्या 09/2015 छाजूराम बनाम ग्राम पंचायत में निर्णय/आदेश पारित करने की स्थिति में निगरानीकर्ता को सक्षम न्यायालय में पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97 के तहत प्रस्ताव/आदेश के विरूद्व अपील किये जाने के विधिक अधिकार सुरक्षित है। निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी का कोई विधिक आधार नहीं होने की स्थिति में निगरानीकर्ता द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारिज किये जाने योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर निगरानीकर्ता की निगरानी खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मय निर्णय की प्रमाणित प्रति के साथ लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 19.12.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Iqbal Khan
Date: 2020.01.08 12:56:57 IST
Reason: SelfAttested
Location: